

30-11-17 Online Entry
मालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धनबाद

एम० पी० केश नं० 621/20/17.....

धारा 107 द.प्र.स.

12-4-17
 12/11/17

दिनांक	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाई
12.4.17	श्री. मति जुली देवी बनाम राजकुमार साह कुमार घुशी थाना अप्राथमिकी सं० 09/17.....	18/5/17
	प्राप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी	30/5/17
	स० अ०नि०/अ०नि० कुमार घुशी ने जाँच कर अपना	9/6/17
	प्रतिवेदन थाना प्रभारी कुमार घुशी थाना एवं	22/6/17
	अ० निरी० विरकुण्डा ने अग्रासारित किया	9/7/17
	है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच सुमि विराट् का	28/7/17
 लेकर	14/8/17
	तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति	30/8/17
	भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा	12/9/17
	सकते हैं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव	25/9/17
	व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती	12/10/17
	है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107	30/10/17
	द० प्र० सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ	10/11/17
	कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 9-5-17 को 10.30 बजे	24/11/17
	पूर्वाहन उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं	11/12/17
	लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके ₹ 5000.00 रु० का दो
	समप्रतिभुतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय।	
	लेखापित एवं संशोधित	
	
	
	
	

.....
 अनुमंडल दण्डाधिकारी
 धनबाद

.....
 अनुमंडल दण्डाधिकारी
 धनबाद

24-11-12

प्रथम पक्षा के सुनी-वेदी न्यायालय में
उपस्थित चोट वारंट वापसी हेतु -
न्यायाधीश के द्वारा आवेदन दायर
किया है। जिसे स्वीकार किया जा रहा है।
नया प्रथम पक्षा के गवाह सं. 1 को अपंग
पर उमान दायर किया है - जिसे
डिमाजना है।

द्वितीय पक्षा के 4/2 की दायर है अन्य
की 115 का आवेदन है।

॥ 21/12/12

for
24/11/12

11-12-12

आपका है

प्रथम पक्षा की - गवाह के रूप में दायर है।
द्वितीय पक्षा 4/1 की - दायर है, अगली -
115 का आवेदन है,
कानूनधर हीन के कारण वाड की कार्यवाही
न्यायद्वारा पूर्ण कार्यद्वारा से समाप्त की
जाती है।

for
24/11/12